

राजस्थान सरकार
गृह(ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प. 2(11)गृह-5/2009

जयपुर, दिनांक : 18-02-2016

:: आदेश ::

विषय:-सामुदायिक संपर्क समूहों (सी.एल.जी.) का गठन इत्यादि।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि थाना/बीट स्तर पर गठित कतिपय सामुदायिक संपर्क समूहों (सी.एल.जी.) में इस विषय पर राज्य सरकार एवं पुलिस महानिदेशालय द्वारा जारी किये गये आदेशों/दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित नहीं हो सकी है।

2. अतः राज्य में थाना/बीट स्तर पर गठित सामुदायिक संपर्क समूहों (सी.एल.जी.) के संबंध में समस्त पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षकगण राजस्थान पुलिस नियम, 2008 के नियम 12(6) व 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24-08-2009 तथा पुलिस महानिदेशालय के स्थाई आदेश क्रमांक व.15(1)पुलिस-फोर्स/सी.एल.जी./ग्रुप-6/07/2811 दिनांक 06-05-2007, क्रमांक व-15(2)आ.एवंक./विविध/08/44 दिनांक 02-01-2008, क्रमांक सीआईडी/सीबी/पीआरसी/ ग्रुप-2/1043-91 दिनांक 10-02-2010 की पालना में सभी पुलिस जिलों में थाना/बीट स्तर पर गठित सी.एल.जी. समूहों की गहनता से समीक्षा करते हुये सी.एल.जी. समूहों के आवश्यकतानुसार पुर्नगठन बाबत कार्यवाही करें।


3. इन आदेशों की समयबद्ध पालना सुनिश्चित कराई जायें।

- ६० -
(संदीप वर्मा)
शासन सचिव-गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रेंज, राजस्थान।
3. पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त, जयपुर व जोधपुर।
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।


18/2
(जगदीप सिंह कुशवाह)
शासन उप सचिव-सुरक्षा


17/2/17
(जगदीप सिंह कुशवाह)
वरिष्ठ शासन उप सचिव